एस-11011/2/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काँप्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 18.06.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव
(सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

**विषय: स्वच्छ भारत कोष प्रचालन दिशा-निर्देश, 2014 और प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, मंत्रालय ने स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) ट्रस्ट से निधियाँ प्राप्त करने हेतु कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

2. इस मामले की विस्तार से जाँच की गई है और साथ ही इस पर वित्त मंत्रालय में स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट के शासकीय परिषद की बैठक के दौरान विचार-विमर्श भी हुआ। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस स्तर पर राज्यों से अनुरोध किया जाए कि वे ऐसी ग्राम पंचायतों की पहचान करें जो कि खुले में शौच मुक्त की स्थिति प्राप्त करने की ओर बढ़ रही हैं किन्तु केवल इसी कारण से ओडीएफ नहीं हैं क्योंकि कुछ पात्रता न रखने वाले एपीएल परिवार बिना शौचालय के हैं और कुछ परिवारों में बेकार शौचालय हैं।

3. राज्यों द्वारा पात्रता न रखने वाले एपीएल परिवारों में केवल ऐसे शौचालयों के एसबीके निधियन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए किए जा सकते है और ऐसे पहचानी गई ग्राम पंचायतों में बेकार पड़े शौचालयों के लिए प्रस्ताव दिए जा सकते हैं और उन्हें ओडीएफ बनाने की प्रतिबद्धता रख सकते हैं।

4. राज्यों को एमआईएस में ग्राम पंचायतों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो कि एसबीके निधियन से ओडीएफ बनाया जाना प्रस्तावित है। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन परिवारों के संबंध में एसबीके तहत वित्तपोषण हेतु विचार किया जाएगा जो कि आईएमआईएस पर उपलब्ध आधारभूत डाटा पर है ताकि एसबीके तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की पारिवारिक स्तर पर प्रगति की मंत्रालय के वेबसाइट पर पारदर्शी तौर पर निगरानी की जा सकती है।

भवदीया,

(क्रिस्टीना कुजूर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

(i) सभी राज्यों के एसबीएम (जी) समन्वयनकर्ता
(ii) एमडीडब्ल्यूएस वेबसाइट पर डालने के लिए तकनीकी निदेशक (एनआईसी)